

कार्यालय:- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई।

पत्रांक: विविध / 6512-14 / 2026-27 दिनांक 15-09-2026

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्त विहीन मान्यता प्राप्त/

सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड/अन्य बोर्ड

विषय: स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित आवागमन तथा स्कूल वाहनों के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मिशन "सेफ फ्यूचर 3.0" दिनांक 14.09.2026 से 19.09.2026 तक (छह दिवसीय) विशेष अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

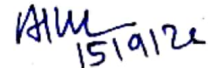
उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), हरदोई के पत्रांक 1140/सा0प्रशा0/अनफिट-स्कूल वाहन/कार्यवाही/2026 दिनांक 11.09.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 3436/2020 GOMTI RIVER BANK RESIDENTS THRU-SECY-MR-GIRDHAR GOPAL VS. STATE OF U.P. THROUGH PRIN. SECY. HOUSING and URBAN DEV. and ORS दिनांक 07.09.2026 को पारित निर्देशों के अनुपालन कराये जाने एवं स्कूली बच्चों और विशेषकर स्कूली छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में आपको आदेशित किया जाता है कि

1. प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय स्तर पर परिवहन सुरक्षा समिति का गठन अवश्य कर लिया जायें।
2. प्रत्येक विद्यालय में जिसमें स्कूल के स्वामित्व अथवा अनुबंध में वाहन संचालित हो, उनमें अनिवार्य रूप से एक परिचर (अटेंडेंट) हो और यदि उन वाहनों में बालिकाएं भी यात्रा कर रही हों, तो परिचर (अटेंडेंट) महिला ही हो।

उपरोक्त सूचना संलग्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-प्रारूप।


डॉ0(अरविन्द कुमार पाठक)
जिला विद्यालय निरीक्षक
हरदोई।

पृ0सं0:विविध / 6512-14 / 2026-27 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
2. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), हरदोई।


जिला विद्यालय निरीक्षक
हरदोई।

विद्यालय में संचालित स्कूली वाहनों में परिचर की सूचना				
क्र०सं०	विद्यालय का नाम	वाहन की कुल संख्या	कुल नियुक्त परिचर की संख्या	महिला परिचर की संख्या
1	2	3	4	5

**कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हरदोई।**

पत्रांक :- 1146/सा0प्रशा0/2026

दिनांक : 14.09.2026

सेवा में,

1- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई।

2- बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।

विषय :- स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित आवागमन तथा स्कूल वाहनों के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु "मिशन सैफ फ्यूचर 3.0" दिनांक 14.09.2026 से 19.09.2026 तक (छह दिवसीय) विशेष अभियान चलाए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 3436/2020 (Gomti River Bank Residents Thru Secy. Mr. Girdhar Gopal Vs State of UP through Prin. Secy. Housing and Urban Development and Others) में दिनांक 07.09.2026 को पारित निर्देशों के अनुपालन एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए गए हैं। माननीय न्यायालय ने स्कूली बच्चों और विशेषकर स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। पूर्व में शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व और उनसे अनुबंधित वाहनों की फिटनेस जांच तथा सुरक्षा मानकों को पूर्ण कराए जाने के प्रयासों की श्रृंखला में निरंतर कार्यवाही और कई विशेष अभियान सम्पादित किए जाने के बावजूद, स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के संकल्प की दिशा में अभी तक अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है। अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन करने हेतु विद्यालय प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें :-

- 1- सभी विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर परिवहन यान सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित कराना।
- 2- प्रत्येक विद्यालय जिसमें स्कूल स्कूल के स्वामित्व अथवा अनुबंध में वाहन संचालित हों, उनमें अनिवार्यतः एक परिवार (अटेंडेंट) हो और यह भी कि यदि उन वाहनों में बालिकाएँ भी यात्रा कर रही हों तो परिवार महिला ही हो, इसे सुनिश्चित कराने हेतु विद्यालयों को सक्षम स्तर से निर्देश निर्गत कराना। सभी विद्यालयों से इस आशय की सूचना भी प्राप्त कर ले कि उनके विद्यालय में कितनी वाहन संचालित हैं, कितने परिवार नियुक्त किए गए हैं और उनमें कितनी महिलाएं हैं। उक्त सूचना से अयोधस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन/प्रवर्तन), हरदोई।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, हरदोई को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन/प्रवर्तन), हरदोई।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

पत्रांक: 1474 इन्फ/2026-29इंफ/2019(II)

लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2026

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष, जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति /
जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 3436/2020 (गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दिनांक 07.09.2026 को पारित आदेश के अनुपालन एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 3436/2020 (Gomti River Bank Residents Thru Secy. Mr. Girdhar Gopal Vs. State of UP through Prin. Secy. Housing and Urban Development and Others) में दिनांक 07.09.2026 को स्कूली वाहनों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए गए हैं। माननीय न्यायालय ने अपने स्वामित्व वाले या अनुबंधित (Contractual) वाहनों के माध्यम से स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है तथा निम्नलिखित व्यवस्थाओं को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है:-

1. जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें एवं 'विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति' का गठन: प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठकें अनिवार्य एवं नियमित रूप से आयोजित की जाएं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ऐसा विद्यालय जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत हैं या जो अनुबंध पर वाहन संचालित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश मोटर यान (26वां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 222-छ (Rule 222-G) के अंतर्गत एक 'विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति' (School Transport Safety Committee) का अनिवार्य गठन करें। इन विद्यालय स्तरीय समितियों का गठन संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के माध्यम से शत-प्रतिशत कराया जाएगा। इस समिति की संरचना नियमानुसार निम्नवत होगी:-

क्र.सं.	समिति के सदस्य/नामित पदाधिकारी	पद
(a)	संबंधित विद्यालय का विद्यालय प्राधिकारी (School Authority)	अध्यक्ष
(b)	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी (जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो)	सदस्य
(c)	विद्यालय प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट संरक्षकों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(d)	संबंधित पुलिस थाने का थाना अधिकारी (SHO) / चौकी प्रभारी	सदस्य
(e)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी (जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो)	सदस्य
(f)	जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी (जो उपखण्ड निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो)	सदस्य
(g)	विद्यालय यान ऑपरेटरों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(h)	यथास्थिति, अध्यक्ष या महापौर द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि	सदस्य

- विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

- विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित समय पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल में होगी।

2. वाहन में परिचर एवं शिक्षक की अनिवार्य उपस्थिति (नियम 222-ठ): माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि पूर्व के निर्देशों के बावजूद इस बिंदु की स्कूलों द्वारा अत्यधिक उपेक्षा की जा रही है। अतः मा० उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मोटर यान (26वां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 222-ठ (Rule 222-L) के उप-नियम (त) को कड़ाई से लागू करने पर विशेष बल दिया है। इसके अनुसार, विद्यालय प्राधिकारी यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि:

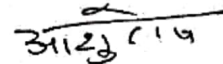
- प्रत्येक स्कूल वाहन में चालक के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से एक परिचर (Attendant) उपस्थित रहेगा।
- यदि वाहन में छात्राएं (Girl Children) यात्रा कर रही हैं, तो परिचर का महिला (Female Attendant) होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त बस/वाहन में अनिवार्य रूप से एक अध्यापक भी बच्चों के साथ यात्रा करे।

3. चालकों का शत-प्रतिशत चरित्र सत्यापन : स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी विद्यालय प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने स्वामित्व अथवा अनुबंधित वाहनों के चालकों का स्थानीय पुलिस के माध्यम से शत-प्रतिशत चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। बिना सत्यापित चरित्र वाले किसी भी चालक को वाहन संचालन की अनुमति कदापि न दी जाए।

अतः अनुरोध है की माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए इसका समुचित पर्यवेक्षण करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

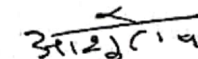
भवदीय,


(आशुतोष निरंजन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ० सं० १५३५ (1)इन्फ/2026-समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।


(आशुतोष निरंजन)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।